भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 873

जिसका उत्तर मंगलवार, 3 दिसम्बर, 2024/12 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया

महिलाओं द्वारा लिया गया पर्सनल लोन

873. श्री नीरज डांगी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत दो वर्षों के दौरान महिलाओं द्वारा लिए गए पर्सनल लोन का प्रतिशत क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान पर्सनल लोन संवितरण में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है; और

(ग) वर्तमान में महिलाओं द्वारा लिए गए लोन की बकाया राशि कितनी है और सरकार द्वारा बकाया लोन की राशि वसूल करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि जो दिनांक 31.3.2022 की स्थिति के अनुसार कुल बकाया वैयक्तिक ऋण में महिला उधारकर्ताओं के संबंध में बकाया वैयक्तिक ऋण के भाग की हिस्सेदारी 20.2% थी से 31.3.2024 की स्थिति के अनुसार 70 बीपीएस बढ़कर 20.9% हो गई है। इसके अलावा, पिछले दो वित्तीय वर्ष के दौरान महिलाओं के बकाया वैयक्तिक ऋण में 59.35% की वृद्धि हुई है।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 30.6.2024 की स्थिति के अनुसार महिला उधारकर्ताओं को दिए गए वैयक्तिक ऋणों में कुल बकाया राशि 18.18 लाख करोड़ रुपये थी। बैंक मौजूदा विधिक और विनियामकीय दिशानिर्देशों के दायरे में अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार मासिक किस्त सारणी के अनुसार उधारकर्ता से बकाया ऋण की वसूली के लिए कई कदम उठाते हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, सीधे उधारकर्ताओं के वेतन से ऋण की किस्त वसूलने का वचन पत्र लेना, अप्रतिसंहरणीय उत्तर दिनांकित चेक/इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस सर्विस/स्थायी निर्देश के माध्यम से कटौती शामिल है।

*****